| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>*कुन्नी वगैरह बनाम लूणाराम वगैरह*<br>*अपील अन्तर्गत 75 भू राजस्व अधिनियम*<br>*राजस्व अपील संख्या 12/2022* | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 09-9-25 | वकुलाय पक्षकारान् उपस्थित। अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट संख्या 1 से 2 के पिता एवं अपीलान्ट संख्या 3 से 5 के नाना स्व० मोहनलाल पुत्र प्रताप जी की सह–खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम बोरानाड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 157 कुल रकबा 13 बीघा कृषि भूमि आई हुई है। मोहनलाल जी के जायन्दा पुत्र लूणाराम एवं नथाराम है। मोहनलाल जी का स्वर्गवास होने के पश्चात् अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लूणाराम एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 के पिता/पति नथाराम के नाम से मोहनलाल जी के हक, हिस्से की कृषि भूमि में विधिक वारिसान् बने। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 के पिता/पति नथाराम द्वारा जानबूझकर सही तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्य एवं दस्तावेज पेश कर आपस में सांठगांठ कर अवैधानिक तरीके से उक्त विवादित नामान्तकरण अपने नाम से बाले–बाले स्वीकृत करवा लिया। अपीलान्ट संख्या 1 से 4 की माता श्रीमती सायरी एवं अपीलान्ट संख्या 5 की माता जमना जो कि मोहनलाल जी की जायन्दा पुत्रियां होने के बावजूद भी उनका नाम विवादित नामान्तकरण में दर्ज नहीं किया गया म्यूटेशन जैर अपील केवल मोहनलाल जी के दोनों पुत्रों रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 के पिता/पति नथाराम के नाम से भरा गया जबकि विधि अनुसार अपीलान्ट के नाम से भी म्यूटेशन इन्द्राज होना चाहिए था। अतः अपीलार्थीगण द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरणकरण आदेश संख्या 47 ग्राम पंचायत बोरानाड़ा द्वारा स्वीकृत किया गया, को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।<br><br>अपीलार्थीगण के अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इसे पंजीबद्ध की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता अजयराज द्वारा वकालतनामा एवं जवाब दावा पेश किया है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 6 की ओर उक्त अपील का जवाब पेश कर अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा उचित आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया। अपीलान्ट्स अधिवक्ता एस.एल. सांखला द्वारा लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही अपील में अंतिम बहस माने जाने का निवेदन किया गया जिस पर रेस्पोडेन्ट्स अधिवक्ता द्वारा अपनी सहमति प्रदान की है। अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहस में कर अपील मीमो में वर्णित अभिवचनों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित म्युटेशन सं. 47 स्व. मोहन लाल के फौतेदगी के नाम भरा गया था जो केवल उनके दो पुत्र लूणाराम व नथाराम के नाम से स्वीकृत किया गया था जबकि मोहनलाल के 4 पुत्रियां अपीलांट कुन्नी सुखी सायरी व जमना भी थी। जो विधिक वारिसान थी। फिर भी उनके नाम के म्युटेशन नाम इन्द्राज नहीं किया गया। विवादित म्युटेशन जैर अपील हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम प्रावधानों के विपरीत है तथा कथित नामांतरण स्वीकृत करने से पूर्व मौके व कब्जे की रिपोर्ट नहीं देखी | |

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

गई न ही अपीलांट को सुना गया तथा सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। स्वीकृति से पूर्व लैंड रूलस 119 से 148 की विधिवत पालना नहीं की गई एवं नियम 121 (4) के अनुसार प्रक्रिया भी नही अपनाई गई। ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा गुणावगुण से भी आगे बढकर पक्षकारों के अधिकार तय कर उक्त नामांतरणकरण स्वीकार किया गया जो विधि विरूद्ध है तथा ऐसा अवैध नामातरणकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के प्रावधानों के विपरीत है। अपीलांट की अपील स्वीकार की जाए तथा विधि विरूद्ध भरे गए उक्त नामांतरणकरण सं. 47 ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाए।

अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जावें एवं अपील को अन्दर म्याद शुमार किय जाने का आदेश फरमावे जिस पर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 8 संतोष बाहेती की ओर से अधिवक्ता प्रेमकुमार देवड़ा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का जवाब पेश किया कर कथन किया कि विचाराधीन अपील में अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर अपील को म्याद अधिनियिम के जवाब के तथ्यों के आधार पर खारिज किया जाने का निवेदन किया है।

अपीलान्ट्स द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 8 द्वारा पेश का जवाब पर दोनो अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के अधिवक्ता द्वारा पेश फार्म3 के संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा नामान्तरणकरण आदेश संख्या 47 जो कि ग्राम पंचायत बोरानाड़ा द्वारा स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध अपील लगभग 54 साल बाद की गई। उक्त नामान्तरकरण की स्वीकृती पश्चात सहखातेदार रामचन्द्र भी फौत हुआ जिसके वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकार कर उसके पश्चात सह खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से भूमि का विभाजन किये जाने से नामान्तरकरण से खाते अलग–अलग हो गये। इसके पश्चात खसरा नंबर 157 में से 05 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकारों का विक्रय किया जाकर इसका रूपान्तरण कर भूखण्डों के रूप में आगे से आगे अनेकों बार विक्रय कर दिया गया तथा सन 1992–93 में दोनों खसरों की भूमि की अवाप्ती की कार्यवाही भी की गई। इसके पश्चात खसरा संख्या 157 की भूमि आवाप्ती से मुक्त करने पर उसका भी रूपान्तरण होकर अलग–अलग व्यक्तियों के नाम से पट्टे जारी कर दिये तथा खसरा संख्या 173 की भूमि रीको को आवंटित कर भूमि का औधोगिक प्रयोजनार्थ विकास किया। लोगो द्वारा उन भुखण्डों पर औधोगिक इकाईया स्थापित की जा चुकी है एवं मौके पर उधोगों का संचालन हो रहा है। जिससे स्पष्ट है कि दोनों ही खसरों की भूमि कृषि नही होकर वर्षों पूर्व आवासीय एवं औधोगिक भूमि के रूप में

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

काम में ली जा रही है तथा भूमि का कृषि स्वरूप समाप्त हो चुका है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि 51 वर्ष की लम्बी समयावधि में राजस्व रैकर्ड एवं मौके की स्थिति में आमुल चुक बदलाव हुए जिन्हे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त तमाम हालात में अपीलार्थीगण का यह कथन विश्वास करने योग्य नहीं रहता कि 51 वर्ष बाद उन्हे राजस्व रैकर्ड की जानकारी प्राप्त हुई है। जो कि प्रथम दृष्टया म्याद बाहर प्रतीत होती है। साथ ही अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी हेतु कोई स्पष्ट कारणों से अवगत नहीं करवाया गया है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर हमने यह पाया कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम बोरानाड़ा, तहसील झंवर, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 157 कुल रकबा 13 बीघा कृषि भूमि जो कि नामान्तरकण संख्या 47 के स्वीकृती के पश्चात किसी प्रकार की कोई मौका–स्थिति का वर्णन अपील मीमो एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के अधिवक्ता द्वारा विवादग्रस्त भूमि के संबधं में किए गये कई पंजीबद्ध हस्तान्तरण के दस्तावेज तथा भूमि अधिग्रहण के संबंध में अंतिम मुआवजा रिपोर्ट दिनांक 05.01.1996 एवं अधिसूचना दिनांक 02.06.2007 एवं इस संबंध अखबार में करवाए गए प्रकाशन का भी उल्लेख किया है। जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान में उक्त खसरे के भूखण्डों के लगातार बेचान–हस्तान्तरण हुए है एवं राजस्व रैकर्ड में अमल दरामद हुए है जिस कारण विवादित नामान्तरकण सख्या 47 को निरस्त किये जाने पर अन्य पक्षकारों के प्रभावित होने की संभावना है। चुंकि अपीलान्ट की अपील म्याद बिन्दु पर ही निर्णित की जानी है। **परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 के तहत यदि कोई वाद, अपील, या आवदेन में निर्धारित समय–सीमा के बाद दायर किया जाता है, भले ही वादी/अपीलांट द्वारा परिसीमा की दलीले दी हो या नही, तो वह खारिज किये जाने योग्य है।** ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में वर्णित कारणो के आधार पर म्याद को कण्डोन किये जाना किसी प्रकार से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलान्ट की अपील म्याद बाहर होने से न्यायहित में खारीज किए जाने योग्य है।

अतः अपीलान्ट द्वारा पेश नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो। निर्णय आज दिनांक 9-9-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी